ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम

5427. **आचार्य भगवान देव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने मन्दिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव तथा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अधीन कौन-कौन से मन्दिर और ऐतिहासिक स्मारक चुने गए हैं और कौन-कौन से भविष्य में चुने जाएंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). मंदिरों को सम्मिलित करते हुए केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारकों का परिरक्षण और रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामान्य कार्यकलाप और अनवरित कार्यक्रम है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत पुरातात्विक परिरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार मंदिरों और एहिासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार अनुज्ञेय नहीं है इसलिए उस कार्य के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उपाय

5428. **श्री राम अवध:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेदिक और होमयोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर): सरकार ने देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के लिये चार अनुसन्धान परिषदें बना दी गई हैं । उनके अन्तर्गत अनुसन्धान का स्वरूप ऐसा रखा गया है ताकि प्राचीन ग्रन्थों, परम्परागत प्रणालियों और लोक प्रचलित उपचार विधियों का सावधानीपूर्वक अध्यन करने के बाद रोगों से निपटने की विधियों के बारे में निश्चित सुझाव प्राप्त हो सकें ।

(2) सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथी के राष्ट्रीय संस्थान खोल दिए हैं ।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के स्नातक पूर्व कालेजों को प्रयोगशाला उपकरण खरीदने तथा विशेषकर अनुसूियत जाति/अनुसूीत जन-जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये पुस्तक बैंक खोलने के लिये अनावर्ती खर्च के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(4) आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के स्नातक-पूर्व कालेजों के शिक्षकों के स्तर में सुधार लाने के लिये आयुर्वेद और होम्योपैथी की ऐसी स्नातकोत्तर और अन्य संस्थाओं में एक छः सप्ताह का तथा एक दो सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है जिनमें इस प्रशिक्षण के चलाने के लिए सुविधाएं और कार्मिक हैं ।

(5) आयुर्वेद तथा होम्योपैथी औषधियों के मानक निर्धारित करने के लिये भारतीय चिकित्सा (जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है) और होम्योपैथी की भेषजसंहिता प्रयोगशालायें खोल दी गई हैं ।

(6) अच्छी क्वालिटी की जड़ी-बूटियां एकत्र करने उनकी पर्याप्त मात्रा में खेती करने और अस्पतालों, अनुसन्धान यूनिटों आदि के लिये आयुर्वेद को मान्क और क्वालिटी की औषधियों का निर्माण करने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम खोल दिया गया है। इस निगम द्वारा बनाई गई औषधियां यथा समय खुले बाजार में भी उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्ग देश के विभिन्न भागों में औषधालय खोलना। इस योजना के अन्तर्गत 1-12-1981 तक देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी की 52 डिस्पेंसरियां/यूनिटें खोली जा चुकी हैं ।